राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 185 / 2022

प्रार्थीगण

1. जैराम पुत्र जोधा
2. दामाराम पुत्र जोधा
3. मीरा पत्नी जोधा

जातियान विश्नोई निवासी नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सुखराम पुत्र करनाराम जाति विश्नोई निवासी गड़रा
2. ठाकराराम पुत्र हुकमाराम के कायम मुकाम
   2.1. सुजानाराम पुत्र ठाकराराम
   2.2. बुधराम पुत्र ठाकराराम
3. सुखराम पुत्र तेजाराम जातियान विश्नोई निवासी नेड़ीनाडी तहसील धोरीमन्ना
4. पाबूराम पुत्र विरधाराम
5. हनुमान पुत्र कानाराम जातियान विश्नोई निवासी जाणियों का मगरा तहसील धोरीमन्ना
6. किशनाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढ़ाणी तहसील धोरीमन्ना।
7. शाखा प्रबंधक दा सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
8. श्रीमान तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 29/09/22

अधिवक्तागण :– 1. श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01, 2/1 व 2/2

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 31/10/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 2.8004 हैक्टेयर यानि 17–06 बीघा किस्म बारानी सीयम मौजा नेड़ीनाड़ी पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में आयी हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीगण की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें या सीमा चिह्न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)
31.10.23

बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.07.2022 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा नेड़ीनाड़ी पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 08 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 06 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई ने अन्डरटेकिंग ली कि आगामी पेशी तारीख पर इनका वकालतनामा पेश कर दूंगा। आगामी पेशी तारीख पर विप्रार्थी संख्या 01, 2/1 व 2/2 की ओर से वकालतनामा एवं विप्रार्थी संख्या 01 की ओर जबाव पेश किया। विप्रार्थी संख्या 03 व 06 वकालतनाम पेश नही करने पर दिनांक 31.03.2023 को इनकी अन्डरटेकिंग समाप्त कर दी गई। विप्रार्थी संख्या 2.1 व 2.2 की ओर जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही किया। इसलिए दिनांक 18.08.2023 को इनके जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया। विप्रार्थी संख्या 03 से 07 के नोटिस भेजे एक माह [illegible] कारण [illegible] न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध [illegible] 2023 को एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को [illegible] सुना [illegible]ना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी खसरा संख्या 270 रकबा 2.8004 हैक्टैयर यानि 17–06 बीघा किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

31.10.23

रेकर्ड है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.07.2022 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 270 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 270 रकबा 2.8004 हैक्टैयर यानि 17–06 बीघा किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम नेड़ीनाड़ी पटवार मण्डल नेड़ीनाड़ी तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 15 के खसरा संख्या 270 रकबा 2.8004 हैक्टैयर यानि 17–06 किस्म बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा संख्या 270 रकबा 2.8004 हैक्टैयर यानि 17–06 किस्म बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

31.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 31/10/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:44:47 IST
Reason: SelfAttested

31.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना